Statement

State-wise production of sugar during 1987 and 1988.

(Lakh tonnes)

State	1986-87	1987-88
Punjab	2.34	2.10
Haryana	2.89	2.72
Rajasthan	0.23	0.06
Uttar Pradesh	25.57	26.66
Madhya Pradesh	0.71	0.85
Gujarat	5.76	5.78
Maharashtra	23.88	27.94
Bihar	2.99	3.12
Assam	0.05	0.10
Orissa	0.21	0.20
West Bengal	0.04	0.03
Nagaland	0.03	0.06
Andhra Pradesh	5.30	5.44
Karnataka	6.12	7.45
Tamil Nadu	8.13	7.85
Pondicherry	0.59	0.50
Kerala	0.10	0.07
Goa	0.08	0.09
All India	85.02	91.10

दिल्ली प्रशासन के अधीन औद्योगिक अधिकरण और श्रम न्यायालय

1169. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अधीन तीन औद्योगिक अधिकरण और आठ श्रम न्यायालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक औद्योगिक अधिकरण में नवम्बर, 1988 के बाद से कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है तथा इस अधिकरण के पास लगभग 10 वर्ष पुराने मामले लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है; और

(घ) इस अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) औद्योगिक अधिकरण संख्या II में 24.11.1988 को पदधारी के सेवानिवृत होने से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ।

यद्यपि 24.11.1988 को एक नये पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन न्यायालय में पद से कार्यभार मुक्त होने पर उन्होंने 20.2.1989 को कार्यभार संभाला।

अधिकरण में दो मामले 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हैं।